वित्त विभाग द्वारा औपचारिक रूप से परामर्शित।

पत्रांक–7/पद सृजन–15–10/2014 सा0प्र0......................../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर प्रसाद दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

पटना–15, दिनांक..........................

विषयः– **शेखपुरा न्याय मंडल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का 01 (एक) तथा प्रभारी न्यायाधीश का कार्य करने हेतु असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) का 01 (एक) पद सहित कुल 02 (दो) पदों का सृजन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है निबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, पटना के पत्र संख्या–12151 दिनांक 13.03.2014 द्वारा शेखपुरा न्याय मंडल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का 01 (एक) तथा प्रभारी न्यायाधीश का कार्य करने हेतु असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) का 01 (एक) पद सहित कुल 02 (दो) पदों के सृजन की अनुशंसा प्राप्त थी।

2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत शेखपुरा न्याय मंडल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के वेतनमान 51550–1230–58930–1380–63070 एवं प्रभारी न्यायाधीश का कार्य करने हेतु असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के वेतनमान 27700–770–33090–920–40450–1080–44770 में संलग्न व्यय विवरणी के अनुसार रु0 21,32,826/– (इक्कीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ छब्बीस) के वार्षिक तथा न्यायिक सेवा में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश का 01 (एक) पद तथा असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) (प्रभारी न्यायाधीश के कार्य हेतु) का 01 (एक) पद सहित कुल 02 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त पदों का व्यय–बजट शीर्ष "2014 न्याय प्रशासन–लघु शीर्ष–105 सिविल और सेशन्स न्यायालय उपशीर्ष–0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद

(18)

से वहन किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड सं0–"N–2014001050001" होगा एवं संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः–व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/पद सृजन–15–10/2014 सा0प्र0....10961.../पटना–15, दिनांक...7.8.14

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 15.07.2014 के मद संख्या–17 के प्रसंग में/सभी विभाग/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/8/14
सरकार के उप सचिव।

व्यय–विवरणी

संचिका संख्या–7/पद सृजन–15–10/2014सा0प्र0

शेखपुरा न्याय मंडल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का 01 (एक) तथा प्रभारी न्यायाधीश का कार्य करने हेतु असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के 01 (एक) पद सहित कुल 02 (दो) पदों के सृजन पर होने वाले व्यय की विवरणीः–

क्र0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	औसत वेतन	वार्षिक वेतन	मं0 भत्ता@ 90 %	योग (6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	01	51550–1230–58930–1380–63070	57310/–	687720/–	618948/–	13,06,668/–
2.	प्रभारी न्यायाधीश का कार्य करने हेतु असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि)	01	27700–770–33090–920–40450–1080–44770	36235/–	434820/–	391338/–	8,26,158/–
	कुल	02				योग	21,32,826/–

कुल वार्षिक व्यय का योग –21,32,826/–(इक्कीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ छब्बीस) रूपये मात्र।

नोटः– उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त समय–समय पर न्यायिक सेवा में नियमानुसार देय भत्ता भुगतेय होगा।

6/8/14

(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।